HAMIRPUR POLICE

जनपद हमीरपुर दिनांक 17.01.2023

प्रभावी पैरवी कर 04 अभियुक्तों को अधिकतम 03 वर्ष के कठोर कारावास व 6,000 रुपये अर्थदंड की सजा दिलाई।

जनपद पुलिस द्वारा नामजद 04 अभियुक्तों के विरूद्ध माननीय न्यायालय में की गयी सार्थक पैरवी के फलस्वरूप,थाना मौदहा जनपद हमीरपुर में पंजीकृत अ0सं0 842/2005 धारा- 307,323,324,504,506 IPC नामजद अभियुक्त समझावन यादव, कमल यादव, राजाबाबू व कल्लू को सजा दिलाई गई। इस अपराध में नामित अभियुक्तों के विरूद्ध अभियोजन स्तर पर विवेचना में संपूर्ण साक्ष्यों का गहनता से संकलन किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप उक्त अभियोग मे आरोपियों को दोषी करार देते हुए माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त अभियुक्तगण को धारा 324 के अपराध में 03-03 वर्ष के कारावास एवं 5,000-5,000 हजार रु0 के अर्थदण्ड एवं धारा 506 IPC के अपराध मे 01-01 वर्ष का कारावास एवं 500-500 रु0 का अर्थदण्ड तथा धारा 323 के अपराध मे 01-01 वर्ष का साश्रम कारवास एवं 500-500 रु0 अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।